

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1-तिलकमार्ग लखनऊ।

संख्या:डीजी-चार-101(16)2013 पार्ट-2

दिनांक:लखनऊ: फरवरी 7, 2015

आदेश

उ0प्र0 उपनिरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2008 यथा संशोधित-2013 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत प्राधिकृत बोर्ड द्वारा कुल 223 उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति का चयन परिणाम मुहर बन्द लिफाफे में रखे जाने का निर्णय लिया गया था, जिसका प्रकाशन इस मुख्यालय के आदेश संख्या:डीजी-101(16)2013 दिनांक:12-07-2013 द्वारा उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर किया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के खण्ड-7 (क) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सम्बन्धित प्रकरण में पूर्णतः निर्दोष पाये जाने के फलस्वरूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मुहर बन्द लिफाफों को खोलकर उनमें रखी गयी प्राधिकृत बोर्ड (चयन समिति) द्वारा की गयी संस्तुति के क्रियान्वयन की कार्यवाही की गयी। प्राधिकृत बोर्ड द्वारा की गयी संस्तुति में उपनिरीक्षक ना0पु0 रोहताश सिंह जी0आर0पी0 मुरादाबाद को निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा अनुमोदित किये जाने के आधार पर इन्हें तत्कालिक प्रभाव से उनके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर ही उनके कनिष्ठ की तिथि से निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:-

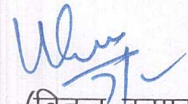
क्र0 सं0	पी0एन0ओ0	उ0नि0 का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	पीटीसी बैच	नियुक्ति जनपद/इकाई	इकाई	भर्ती का वर्ष
1	3	4	5			6		
1	902640146	रोहताश सिंह	कुन्दन सिंह	01-02-1965	1989-90	जीआरपी मुरादाबाद	GRP	2012

3- पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक ना0पु0 रोहताश सिंह अपने नियुक्ति स्थान जनपद/इकाई /शाखा के मुख्यालय पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे नियमावली के प्राविधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति पाये उपनिरीक्षक के वर्तमान नियुक्ति का स्थान यदि स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो वे अपने नये नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। इनकी वरिष्ठता के सम्बन्ध में अलग से आदेश पारित किये जायेंगे।

4- पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित कर्मी द्वारा इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र दिया जायेगा कि उनके विरुद्ध पदोन्नति के आदेश के दिनोंक तक कोई विभागीय कार्यवाही/जॉच अथवा अपराधिक अभियोग लम्बित/प्रचलित नहीं है। यदि है तो कर्मी द्वारा उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जायेगा। यदि इनके द्वारा घोषणा-पत्र में विभागीय कार्यवाही अथवा अभियोग लम्बित होने की कोई जानकारी दी जाती है अथवा वर्तमान में यह निलम्बित चल रहें हों तो इन्हें कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व इनका प्रकरण समस्त विवरण के साथ इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर स्पष्ट निर्देश प्राप्त कर लिये जाये।

5- सम्बन्धित कर्मी को सचेत किया जाता है कि यदि उनके द्वारा स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य पाया जाता है अथवा तथ्य छिपाया जाना पाया जाता है तो उनका पदोन्नति आदेश निरस्त कर उसके मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।

आदेश की प्रति उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट <http://uppolice.govt.in/> पर प्रदर्शित की जा रही है।


(वितुल कुमार)

पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना)

उ०प्र० लखनऊ

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ०प्र० लखनऊ।
- 3- पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
- 4- पुलिस अधीक्षक रेलवे, मुरादाबाद अनुभाग मुरादाबाद।